रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 1] नई दिल्ली, जनवरी 26—फरवरी 1, 2014, शनिवार/माघ 6—माघ 12, 1935

No. 1] NEW DELHI, JANUARY 26—FEBRUARY 1, 2014, SATURDAY/MAGHA 6—MAGHA 12, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2014

का.नि.आ. 1.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा गुणता आश्वासन सेवा नियम, 2000 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा गुणता आश्वासन सेवा नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ख) "नियंत्रक प्राधिकारी" से रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग), भारत सरकार अभिप्रेत है ;

(ग) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से इन नियमों के अधीन गठित ऐसी समिति अभिप्रेत है जिसकी संरचना का ब्यौरा अनुसूची 2 में उल्लिखित है;

(घ) "विद्या" से ऐसा विषय या विषयों का समूह अभिप्रेत है जो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाए;

(ङ) "कर्तव्य पद" से अनुसूची 1 में सम्मिलित कोई स्थायी या अस्थायी पद अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "श्रेणी" से अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कोई श्रेणी अभिप्रेत है;

(ज) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध कोई अनुसूची अभिप्रेत है;

(झ) "अनुसूचित जातियों" और "अनुसूचित जनजातियों" का वही अर्थ होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड (24) और खंड (25) में उनका है;

(ञ) "अन्य पिछड़े वर्ग" में वे जातियां और समुदाय समाविष्ट हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया है;

(ट) "सेवा" से रक्षा गुणता आश्वासन सेवा अभिप्रेत है;

(ठ) "नियमित सेवा" से किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर उसकी नियुक्ति हो जाने के पश्चात् या तो आयोग के माध्यम से या सम्यक् रूप से गठित विभागीय प्रोन्नति द्वारा प्रोन्नति के माध्यम से दी गई सेवा अभिप्रेत है और इसमें तदर्थ नियुक्ति सम्मिलित नहीं होगी ।

3. **सेवा का गठन.**—रक्षा गुणता आश्वासन सेवा, अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट श्रेणियों में समूह 'क' के पदों से समाविष्ट एक वैज्ञानिक सेवा होगी ।

4. **सेवा की प्राधिकृत संख्या और इसका पुनर्विलोकन.**–(1) सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्तव्य पद, उनकी संख्या और वेतनमान वे होंगे जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत स्थायी संख्या वह होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए ।

(3) सरकार विभिन्न श्रेणियों की संख्या में ऐसी अस्थायी वृद्धि या कटौती कर सकेगी जो वह समय-समय पर आवश्यक समझे ।

(4) सरकार, आयोग के परामर्श से अनुसूची 1 में सम्मिलित पदों से भिन्न कोई पद सम्मिलित कर सकेगी या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी पद को सेवा से निकाल सकेगी ।

(6) सरकार, आयोग के परामर्श से किसी ऐसे अधिकारी को, जिसका पद उप-नियम (4) के अधीन अस्थायी हैसियत या अधिष्ठायी हैसियत में समुचित सेवा में सम्मिलित किया गया हो, जैसा उचित समझा जाए, में नियुक्ति कर सकेगी और आयोग के परामर्श से श्रेणी में उसकी वरिष्ठता का नियतन कर सकेगी, जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए साधारण आदेशों या अनुदेशों के अनुसार होंगे ।

5. **सेवा के सदस्य.**–(1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे–

(क) नियम 6 के अधीन कर्तव्य पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्ति; और

(ख) नियम 7 के अधीन कर्तव्य पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्ति ।

(2) उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति पर अनुसूची 1 में उसको लागू समुचित श्रेणी में सेवा के सदस्य के रूप में समझा जाएगा ।

(3) उप-नियम (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति की तारीख से अनुसूची 1 में उसको लागू समुचित श्रेणी में सदस्य होगा ।

6. **आरंभिक गठन.**–(1) इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख पर रक्षा गुणता आश्वासन सेवा में नियमित आधार पर कर्तव्य पदों के धारण कर रहे सभी विद्यमान अधिकारी उनकी अपनी-अपनी श्रेणियों में सेवा के सदस्य होंगे ।

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों की नियमित सतत सेवा को वरिष्ठता, परिवीक्षा, प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा, पुष्टि, अकृत्यिक उन्नयन और सेवा में पेंशन के प्रयोजन के लिए गणना की जाएगी ।

7. **सेवाओं का भविष्य में बनाए रखना.**–(1) इन नियमों के प्रारंभ होने पर और उसके पश्चात् सेवा की किसी श्रेणी में रिक्त कर्तव्य पद अनुसूची 1 में दी गई रीति में भरे जाएंगे ।

(2)(क) सेवा की विभिन्न श्रेणियों में प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए साधारण आदेशों या अनुदेशों के अनुसार चयन सूची विद्यावार तैयार की जाएगी और प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन उस प्रकार किया जाएगा जैसा अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट है :

परन्तु जहां ऐसी कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों की भी प्रोन्नति हेतु विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(ख) प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) के पदों पर नियुक्तियां, खोजबीन समिति की, जिसका गठन उस प्रकार किया जाएगा, जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट हैं, सिफारिशों के आधार पर विद्यावार किया जाएगा ।

(3)(क) सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए तथा विभागीय प्रोन्नति के लिए कोटा विद्यावार तैयार किया जाएगा ।

(ख) अपर महानिदेशक गुणता आश्वासन की श्रेणी में पदों को विद्या के भिन्न-भिन्न समूहों, में, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाए, संवितरित किया जाएगा और इन पदों पर प्रोन्नति तदनुसार संबंधित समूह के पात्र अधिकारियों में से की जाएगी ।

(ग) प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा विहित अर्हता सेवा के पूरी होने की तारीख के प्रतिनिर्देश से तथा संबंधित विद्याओं में परस्पर वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए तैयार की जाएगी ।

(4) आयोग के माध्यम से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी 2 के पदों पर सीधी भर्ती में नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हता तथा आयु सीमा वह होगी जो अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट है ।

(5) प्रत्येक कर्तव्य पद जब तक उसे सेवा से उपवर्जित घोषित नहीं किया गया है या किसी कारण से आस्थगन में धारित नहीं किया गया है, साधारणतया सेवा की समुचित श्रेणी के किसी अधिकारी द्वारा धारित किया जाएगा ।

(6) गुणता आश्वासन संगठन महानिदेशालय में वरिष्ठ गुणता आश्वासन अधिकारी, संयुक्त नियंत्रक, संयुक्त निदेशक, अपर नियंत्रक, नियंत्रक और उप महानिदेशकों के ऐसे पदों को, जिन्हें समय-समय पर सरकार द्वारा सेवा के सदस्यों द्वारा धारित किए जाने निश्चित किया जाए, इस प्रयोजन के लिए गठित नियोजन समिति की सिफारिशों के आधार पर सेवा के अकृत्यिक चयन श्रेणी के स्तर के अधिकारियों में से भरा जाएगा ।

(7) सेवा की विभिन्न श्रेणियों में नियुक्तियां सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए साधारण अनुदेशों के अनुसार आवश्यक सीमा तक आयोग के परामर्श से की जाएगी ।

8. **वरिष्ठता.**–(1) इन नियमों के प्रारंभ होने पर सेवा के सदस्यों की सापेक्ष वरिष्ठता इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व अवधारित रूप में उनकी अपनी-अपनी श्रेणियों में सापेक्ष वरिष्ठता होगी :

परन्तु यदि सेवा के किसी सदस्य की वरिष्ठता इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व विनिर्दिष्ट ।

(2) सेवा की विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त व्यक्ति की वरिष्ठता इन नियमों से प्रारंभ होने के पश्चात् सरकार द्वारा समय-समय पर जारी साधारण आदेशों या अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

(3) प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी), प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी (साधारण श्रेणी), वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-1 और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-2 की श्रेणियों में अधिकारियों की वरिष्ठता को विद्याबार बनाए रखा जाएगा ।

9. **परिवीक्षा, पुष्टिकरण या परिवीक्षा पर अधिकारियों का बना रहना.**–(1) वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-2 के पदों पर नियुक्त हुए सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत अधिकारी की दशा में परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष होगी :

परंतु नियुक्ति प्राधिकारी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकेगा :

परंतु यह और कि परिवीक्षा की अवधि बढ़ाने के लिए कोई विनिश्चय पूर्वतर परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात् साधारणतया आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और उक्त आठ सप्ताह की अवधि के भीतर वैसा करने के लिए कारणों के साथ संबंधित अधिकारी को लिखित रूप में संसूचित किया जाएगा ।

(2) परिवीक्षा या उसके विस्तारण की अवधि पूरा करने पर अधिकारियों को यदि श्रेणी में पुष्टि के लिए उपयुक्त समझा जाता है यदि प्रवेश श्रेणी में उनकी पुष्टि नहीं की गई है, पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट रूप में होगा ।

(3) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तारण के दौरान सरकार की यह राय है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो वह, यथास्थिति, अधिकारी को सेवोन्मुक्त कर देगी या सेवा में उसकी नियुक्ति के पहले उसके द्वारा धारित पद को प्रत्यावर्तित कर देगी ।

(4) सरकार द्वारा अधिकारियों से अपेक्षा की जा सकेगी कि वे परिवीक्षा अवधि या उसके किसी बढ़ाए जाने के दौरान ऐसा प्रशिक्षण या अभिन्यास पाठ्यक्रम पूरा करें और ऐसी परीक्षाएं और परीक्षण को उत्तीर्ण करें, जो वह परिवीक्षा की समाधान पूर्ति की शर्त के रूप में आवश्यक समझे ।

(5) परिवीक्षा से संबंधित किसी अन्य विषय के लिए सेवा के सदस्य, सरकार द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों से शासित होंगे ।

10. **नियंत्रक प्राधिकारी.**–रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग), भारत सरकार सेवा का नियंत्रक प्राधिकारी होगा और सरकार के सर्वोत्तम लाभ के लिए सेवा से संबंधित अधिकारियों के विनियोजन के लिए उत्तरदायी होगा ।

11. **रक्षा सेवाओं में सेवा करने या रक्षा से संबंधित पदों के लिए तैनाती और दायित्व.**–(1) सेवा में नियुक्त हुए अधिकारी, भारत में कहीं भी तैनात या विदेश में सेवा करने के दायी होंगे ।

(2) अधिकारी यदि सेवा में नियुक्त किए जाते हैं तो वे भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग या निगम और भारत के किसी औद्योगिक उपक्रमों में सेवा करने के लिए दायी होंगे ।

(3) सेवा में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो सशस्त्र बलों में चार वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, जिसमें प्रशिक्षण में व्यतीत की गई अवधि, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, कमीशन प्राप्त आफिसर के रूप में सेवा करने का दायी होगा :

परन्तु ऐसे अधिकारी से –

(क) सेवा में नियुक्ति की तारीख से या सेवा के आरंभिक गठन में अपनी तैनाती की पूर्व की तारीख से दस वर्ष के पश्चात् उपरोक्त रूप में सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी; और

(ख) यदि उसने चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो साधारणतया उससे पूर्वोक्त रूप में सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(4) सेवा में नियुक्त अधिकारियों का अन्वेषण, विकास, स्वदेशीकरण और गुणता आश्वासन कार्य या ऐसे अन्य कार्य की, जिस पर उन्हें प्रतिनियुक्त किया जाए, की बाबत, फील्ड सेवा का (जिसके अंतर्गत भूमि पर सेवा या सैनिक वायुयान अथवा नौ सैनिक पोत द्वारा यात्रा आदि भी हैं) दायतिव भी होगा ।

(5) सेवा में नियुक्त अधिकारी ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दायी होंगे और उन्हें भारत के भीतर या बाहर ऐसे अनुदेश पाठ्यक्रमों पर प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा जो सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर विनिश्चित करे और ऐसे प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम जिसकी अवधि छह मास या उससे अधिक है, के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी, अथवा ऐसा अधिकारी जो भारत के बाहर या भारत में प्राइवेट फर्मों या कारखानों में प्रतिनियुक्त है, प्रशिक्षण की अवधि पर ध्यान दिए बिना प्रशिक्षण का पूरा खर्च प्रतिदाय करने के लिए दायी होगा, यदि वह किसी भी कारण से ऐसे प्रशिक्षण के दौरान या ऐसा प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपनी सेवा समाप्त करने का चयन करता है ।

12. **सेवा की अन्य शर्तें.**–(1) ऐसे विषयों की बाबत, जिनके लिए इन नियमों में, स्पष्टतया उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तें, यथावश्यक परिवर्तनों सहित और सेवा के बारे में सरकार द्वारा जारी किए गए किन्हीं विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए वही होंगी जो भारत सरकार के अधीन समतुल्य वैज्ञानिक संस्थानों या संगठनों में तत्समान प्रास्थिति के अधिकारियों (सिविलियन) को लागू होती हैं ।

(2) सेवानिवृत्ति के विषय में सेवा के अधिकारी मूल नियमों के नियम 56 द्वारा शासित होंगे ।

(3) आचरण और अनुशासन के मामले में सेवा के अधिकारी समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 द्वारा शासित होंगे ।

(4) सेवा के अधिकारियों के लिए समर्थता, चिकित्सीय मानक, सामान्यता वही होंगे जो सरकार के अधीन उसी तरह अन्य वैज्ञानिक संगठनों में सेवारत वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकविदों को होता है : परन्तु विशेष मामलों में रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग), भारत सरकार महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा से परामर्श करके शिथिलताएं मंजूर करने के लिए सक्षम होगी ।

(5) उन अधिकारियों को, जिनका चयन ऐसे कार्यों के लिए किया गया है जिसमें सीमित फील्ड सेवा भी सम्मिलित है, विशेष चिकित्सीय जांच करानी होगी जो, यथास्थिति, चयन के समय या जब वे फील्ड सेवा के लिए अग्रसर हों, विहित की जाए ।

13. **अकृत्यिक उन्नयन.**–(1) जब कभी भारतीय प्रशासनिक सेवा में राज्य के संयुक्त काडर के अधिकारी वेतन बैंड 3 या वेतन बैंड 4 या उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी में विनिर्दिष्ट ग्रेड वेतन वाले किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए केन्द्र में तैनात किया जाता है तो सेवा के बैचों से संबंधित वे अधिकारी, जो दो वर्षों या अधिक तक के लिए वरिष्ठ हैं और अभी तक उस विशिष्ट श्रेणी में उनकी प्रोन्नति नहीं की गई है, उनकों केन्द्र में उस विशिष्ट श्रेणी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तैनाती की तारीख से अकृत्यिक आधार पर वहीं श्रेणी मंजूर की जाएगी ।

(2) खोजबीर समिति जिसकी संरचना अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट होगी, की सिफारिश पर वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में अकृत्यिक उन्नयन मंजूर किया जाएगा ।

14. **निरर्हता.**–वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए भी विवाह किया है

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परंतु यदि सरकार का यह समाधान है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकारों को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हैं, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

15. **अवशिष्ट विषय.**–ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इन नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं, सेवा के सदस्य, साधारणतया केन्द्रीय सिविल सेवाओं को लागू नियमों, विनियमों और आदेशों से शासित होंगे ।

16. **शिथिल करने की शक्ति.**–जहां सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

17. **व्यावृत्ति.**–इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा को शिथिल करने और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़े प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

18. **निर्वचन.**–यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भुत होता है तो उसका विनिश्चय सरकार द्वारा किया जाएगा ।

अनुसूची 1

[नियम 2(ङ), 2(छ), 3, 4, 5 और 7 देखें]

रक्षा गुणता आश्वासन सेवा में सम्मिलित समूह 'क' पदों की संख्या और वेतनमान, भर्ती की पद्धति, पात्रता सेवा तथा एक श्रेणी से किसी अन्य श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अन्य शर्तें

क्र. सं.	पदों के नाम, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	पदों की संख्या +	भर्ती की पद्धति	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति अनुज्ञेय है और विहित न्यूनतम पात्रता अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	विशेष महानिदेशक, गुणता आश्वासन (उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी) वेतनमान-उच्च प्रशासनिक श्रेणी 67000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3%)-79000	1	चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा	वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अपर निदेशक गुणता आश्वासन) में वे अधिकारी जिन्होंने श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर वे अधिकारी जिन्होंने सेवा के समूह क पदों में पच्चीस वर्ष नियमित सेवा की है जिसमें से कम से कम एक वर्ष सेवा वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में होनी चाहिए ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	अपर महानिदेशक, गुणता आश्वासन (वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु. और ग्रेड वेतन 10,000 रु.	6	चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी) में वे अधिकारी जिन्होंने श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके आकृत्यिक चयन श्रेणी में सेवा भी सम्मिलित है, यदि कोई हो, जिसके न हो सकने पर, वे अधिकारी जिन्होंने सेवा में समूह क पदों में सत्रह वर्ष नियमित सेवा की हो, जिसमें से कम से कम चार वर्ष नियमित सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में होनी चाहिए । (कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अकृत्यिक चयन श्रेणी में दी गई सेवा सहित) ।
3.	प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी, अकृत्यिक चयन श्रेणी) वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु. और ग्रेड वेतन 8700 रु.	**	प्रोन्नति द्वारा, अचयन द्वारा	(क) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के वे अधिकारी जो उस आधार पर जिसमें सदस्य समूह 'क' पदों पर नियुक्त हुए थे या भर्ती हुए थे, चयन के वर्ष से संगणित वर्ष की 1 जनवरी को सेवा के 14वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं । (ख) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के वे अधिकारी जो काल वेतनमान और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में नौ वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा के साथ समूह 'क' के वरिष्ठ काल वेतनमान में सीधे प्रवेश कर गए हैं ।
4.	प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 7,600 रु.	172$	चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा	वरिष्ठ काल वेतनमान (वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-1) के वे अधिकारी जिन्होंने श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ।
5.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-1 (वरिष्ठ काल वेतनमान) वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 6600 रु.	167	चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा	कनिष्ठ काल वेतनमान (वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी 2) के वे अधिकारी जिन्होंने श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है, और अनुसूची 3 में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी 2 (कनिष्ठ काल वेतनमान) के रूप में सीधी भर्ती के लिए यथा विनिर्दिष्ट अर्हता रखते हों ।
6.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-2 (कनिष्ठ काल वेतनमान) वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 5400 रु.	174	(क) चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा 50% (ख) संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 50%	गुणता आश्वासन संगठन महानिदेशालय का वह कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, जिसने श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है और कम से कम इंजीनियरी में डिप्लोमा या विज्ञान में बैचलर डिग्री रखता हो ।

+ 2014 में कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

** कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी चयन श्रेणी अकृत्यिक है और इस श्रेणी में पदों की अधिकतम संख्या वरिष्ठ कर्तव्य पदों (अर्थात् सेवा के वरिष्ठ काल वेतनमान और अधिक के स्तर पर सभी कर्तव्य पद) के 30% के बराबर होगी और अकृत्यिक चयन श्रेणी में पदों की संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में अनुमोदित पदों की संख्या तक सीमित होगी ।

$ वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु. और ग्रेड वेतन 8700 रु. में अकृत्यिक चयन श्रेणी के पद भी सम्मिलित हैं ।

अनुसूची 2

[नियम 2(ग), 7, 9 और 13 देखें]

(अ) **प्रोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना :**

1. **वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी 2 और प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी)**

(क) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष

(ख) विशेष सचिव या अपर सचिव या प्रशासनिक रूप से संबद्ध संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय – सदस्य

(ग) महानिदेशक, गुणता आश्वासन या विशेष महानिदेशक, गुणता आश्वासन – सदस्य

2. **वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी 1**

(क) विशेष सचिव या अपर सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय – अध्यक्ष

(ख) प्रशासनिक रूप से संबद्ध संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय – सदस्य

(ग) महानिदेशक, गुणता आश्वासन या विशेष महानिदेशक, गुणता आश्वासन – सदस्य

3. **अपर महानिदेशक, गुणता आश्वासन**

(क) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष

(ख) सचिव या विशेष सचिव या अपर सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय – सदस्य

(ग) विशेष महानिदेशक, गुणता आश्वासन – सदस्य

4. **विशेष महानिदेशक, गुणता आश्वासन**

(क) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष

(ख) सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय – सदस्य

(ग) रक्षा मंत्रालय के किसी अन्य विभाग का सचिव – सदस्य

(आ) **वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-2 में पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :**

(क) महानिदेशक, गुणता आश्वासन – अध्यक्ष

(ख) प्रशासनिक रूप से संबद्ध उप सचिव या निदेशक, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय – सदस्य

(ग) मुख्यालय में संबद्ध तकनीकी शाखा के अपर महानिदेशक, गुणता आश्वासन गुणता आश्वासन महानिदेशालय – सदस्य

(इ) **प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी(अकृत्यिक चयन श्रेणी) की श्रेणी में नियुक्ति के लिए खोजबीन समिति की संरचना :**

(क) विशेष सचिव या अपर सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय – अध्यक्ष

(ख) प्रशासनिक रूप से संबद्ध संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय – सदस्य

(ग) महानिदेशक, गुणता आश्वासन या विशेष महानिदेशक, गुणता आश्वासन – सदस्य

(ई) **वेतन बैंड-3, वेतन बैंड-4 और उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी में नियम 13(2) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारियों के लिए अकृत्यिक उन्नयन की मंजूरी के लिए खोजबीन समिति की संरचना :**

(क) सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय – अध्यक्ष

(ख) विशेष सचिव या अपर सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय – सदस्य

(ग) महानिदेशक, गुणता आश्वासन या विशेष महानिदेशक, गुणता आश्वासन – सदस्य

अनुसूची 3

[नियम 7(4) देखें]

सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं, अनुभव, आयु-सीमा :

(1) वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-2

आवश्यक :

1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या धातु विज्ञान में डिग्री ।

2. सुसंगत क्षेत्र के उत्पादन या विकास या गुणता आश्वासन में दो वर्ष व्यावहारिक अनुभव ।

वांछनीय :

किसी मान्यतप्राप्त संस्थान से जर्मन, फ्रेंच, रूसी, जापानी, चीनी भाषा में न्यूनतम छह मास का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ।

आयु-सीमा :

आयु-सीमा पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) ।

1. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

2. विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताएं और विनिर्दिष्ट क्षेत्र जो अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट है जिसमें अनुभव अपेक्षित हैं उन्हें प्रत्येक भर्ती के समय उपदर्शित किया जाएगा ।

3. आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

[सं. ए/93103/119/डी(क्यूए)/डीजीक्यूए/प्रशा.-6बी]

किरण माला कुजूर, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Production)

New Delhi, the 20th January, 2014

S.R.O. 1 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence Quality Assurance Service Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely :-

1. **Short title and commencement** .-(1) These rules may be called the Defence Quality Assurance Service Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.- In these rules, unless the context otherwise requires-

(a) " Commission" means the Union Public Service Commission;

(b) "controlling authority" means the Ministry of Defence (Department of Defence Production), Government of India;

(c) "Departmental Promotion Committee" means a committee constituted under these rules, the detailed composition of which is mentioned in Schedule II;

(d) "discipline" means a subject or a group of subjects as decided by the Government from time to time;

(e) "duty post" means any post, whether permanent or temporary, included in Schedule I;

(f) "Government" means the Government of India;

(g) "grade" means any of the grades specified in Schedule-I;

(h) "Schedule" means a Schedule annexed to these rules;

(i) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the same meaning as respectively assigned to them in clause (24) and clause (25) of article 366 of the Constitution of India;

(j) "Other Backward Classes" shall comprise the caste and communities notified by the Central Government from time to time;

(k) "service" means the Defence Quality Assurance Service;

(l) "regular service" means service rendered by the officer after they are appointed on regular basis either through the Commission or through promotion by duly constituted Departmental Promotion Committee and shall not include ad-hoc appointment.

3. **Composition of the service**.- The Defence Quality Assurance Service shall be a scientific service comprising of Group 'A' posts in the grades specified in Schedule I.

4. **Authorised strength of the service and its review**.- (1) The duty posts included in various grades of the service, their numbers and the scale of pay shall be as specified in Schedule I.

(2) After the commencement of these rules, the authorised permanent strength of the various grades shall be such as may, from time to time, be determined by the Government.

(3) The Government may make temporary additions or deletions to the strength of the various grades as it may deem necessary from time to time.

(4) The Government may, in consultation with the Commission, include in the service any post other than those included in Schedule I or exclude from the service a post included in the said Schedule.

(5) The Government may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included in the service under sub-rule (4) to the appropriate grade of the service in a temporary capacity or in a substantive capacity, as may be deemed fit and fix his seniority in the grade in consultation with the Commission in accordance with the general orders or instructions issued by the Government from time to time.

5. **Members of the service.-** (1) The following persons shall be the members of the service:-

(a) persons appointed to duty posts under rule 6; and

(b) persons appointed to duty posts under rule 7.

(2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall, on such appointment, be deemed to be the member of the service in the appropriate grade applicable to him in Schedule I.

(3) A person appointed under clause (b) of sub rule (1) shall be the member of the service in the appropriate grade applicable to him in Schedule I from the date of such appointment.

6. **Initial constitution**.- (1) All existing officers holding duty posts on regular basis in the Defence Quality Assurance Service on the date of commencement of these rules shall be the members of the service in their respective grades.

(2) The regular continuous service of officers referred to in sub rule (1) before the commencement of these rules shall count for purpose of seniority, probation, qualifying service for promotion, confirmation, non-functional upgradation and pension in the service.

7. **Future maintenance of service .-** (1) The vacant duty post in any of the grades of the service, on and after commencement of these rules, shall be filled in the manner provided in Schedule I.

(2) (a) For the purpose of promotion to various grades of the service, the select lists shall be prepared discipline-wise in accordance with the general orders or instructions issued by the Government from time to time and the composition of the Departmental Promotion Committee for considering promotion shall be as specified in Schedule II:

> Provided that where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade, alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(b) The appointments to the posts of Principal Scientific Officer (Non-functional Selection Grade) shall be made discipline-wise on the basis of the recommendations of the Screening Committee the composition of which shall be as specified in Schedule II.

(3)(a) The quotas for direct recruitment and departmental promotion shall be worked out discipline-wise.

(b) The posts in the grade of Additional Director General Quality Assurance shall be distributed to distinct groups of disciplines, as may be decided by the Government from time to time, and promotion to these posts shall accordingly be made from amongst eligible officers of the concerned group.

(c) The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service and with due regard to the inter-se seniority in the respective disciplines.

(4) The educational qualifications and age-limit for appointment to posts of Senior Scientific Officer Grade-II through the Commission by direct recruitment shall be as specified in Schedule III.

(5) Every duty post, unless declared to be excluded from the service or held in abeyance for any reasons, shall ordinarily be held by an officer of the appropriate grade of the service.

(6) Such of the functional posts of Senior Quality Assurance Officer, Joint Controller, Director, Additional Controller, Controller and Deputy Director General in the Directorate General of Quality Assurance Organisation, as may be earmarked by the Government from time to time for being held by members of the service, shall be from amongst officers of the level of Non-functional Selection Grade of the Service, on the basis of the recommendations of a Placement Committee constituted for the purpose.

(7) Appointments to various grades of the Service shall be made in consultation with the Commission to the extent necessary in accordance with the general instructions issued by the Government from time to time.

8. **Seniority**.- (1) The relative seniority of the member of the service on commencement of these rules shall be the relative seniority in their respective grades as determined before commencement of these rules:

Provided that if the seniority of any member of the service had not been specifically determined before commencement of these rules, it shall be determined by the Government.

(2) The seniority of persons appointed to various grades of the service after commencement of these rules shall be determined in accordance with the general orders or instructions issued by the Government from time to time.

(3) The seniority of officers in the grades of Principal Scientific Officer (Non-functional Selection Grade), Principal Scientific Officer (Ordinary Grade), Senior Scientific Officer Grade –I and Senior Scientific Officer Grade-II shall be maintained discipline-wise.

9. **Probation, confirmation or continuance of officers on probation**.—

(1) In the case of direct recruits and promotee officers appointed to the post of Senior Scientific Officer Grade-II, the period of probation shall be two years:

Provided that the appointing authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time:

> Provided further that any decision for extension of the probation period shall be taken ordinarily within a period of eight weeks after expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period of eight weeks.

(2) On completion of the probation or any extension thereof, officers shall, if considered fit, be confirmed in the grade, if not confirmed in the entry grade and the composition of the Departmental Promotion Committee to consider confirmation shall be as specified in Schedule II.

(3) If during the period of probation, or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, it may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.

(4) During the period of probation, or any extension thereof, officers may, be required by the Government to undergo such courses of training and orientation and to pass such examinations and tests, as it may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

(5) For any other matters relating to probation, the members of the service shall be governed by the instructions issued by the Government in this regard from time to time.

10. Controlling Authority.- The Ministry of Defence (Department of Defence Production), Government of India shall be the Controlling Authority of the service and shall be responsible for the deployment of the officers of the service to the best advantage of the Government.

11. Posting and liability to serve defence services or posts connected with defence.- (1) Officers appointed to the service shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

(2) Officers, if deputed, shall be liable to serve in any other Ministry or Department of the Government of India or Corporations and industrial undertakings of the Government.

(3) Any officer appointed to the service, if so required, shall be liable to serve as a commissioned officer in Armed Forces for a period of not less than four years including the period spent on training, if any:

Provided that such officer-

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment to the service or from the date of his joining prior to the initial constitution of the service; and

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid, if he has attained the age of forty years.

(4) Officers appointed to the service shall be liable to field service (including service on land or travel by service aircraft or naval ships, etcetera) in respect of investigation, development, indigenisation and quality assurance work or such other work to which they may be deputed.

(5) Officers appointed to the service shall be liable to undergo such training and be detailed on courses of instruction in India or abroad as the competent authority may decide from time to time, and an officer detailed for training or course, the duration of which is six months or more or an officer detailed for training outside India or with private firms or factories in India, irrespective of the duration of the training, shall be liable to refund in full the cost of training if, for any reasons, during the training or within a period of three years after the completion of such training, he chooses to discontinue his service.

12. Other conditions of service.- (1) The conditions of service of the members of the service in respect of matters not expressly provided for in these rules shall, *mutatis mutandis* and subject to any special orders issued by the Government in respect of service, be the same as applicable to officers (civilians) of corresponding status in similar scientific institutions or organisations under the Government of India.

(2) In the matter of retirement, the officers of the service shall be governed by rule 56 of the Fundamental Rules.

(3) In the matter of conduct and discipline, officers of the service shall be governed by the Central Civil Service (Conduct) Rules, 1964, and the Central Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, as amended from time to time.

(4) Medical standard of fitness for officers of the service shall normally be the same as for scientists and technologist serving in other similar scientific organisations under the Government: provided that in special cases, the Ministry of Defence (Department of Defence Production), Government of India shall, in consultation with the Director General of Health Service, be competent to grant relaxations.

(5) Officers selected for assignments involving limited field service shall undergo special medical check up, as may be specified either at the time of selection or when they proceed on field service, as the case may be.

13. Non-functional upgradation.- (1) Whenever an Indian Administrative Service Officer of a State of Joint Cadre is posted at the Centre to a particular grade carrying a specific grade pay in the pay band-3 or pay band-4 or Higher Administrative Grade scale, the officers belonging to batches of the service that are senior by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade would be granted the same grade on non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service Officers in that particular grade at the Centre.

(2) Non-functional upgradation in the pay band and grade pay shall be granted on the recommendation of a Screening Committee, the composition of which shall be as specified in Schedule II.

14. Disqualification.- No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

15. Residuary matters.- In regard to matters not specifically covered by these rules, the members of the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable to the Central Civil Services in general.

16. Power to relax.- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons or posts.

17. Saving.-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

18. Interpretation.-If any question arises relating to the interpretation of these rules, the same shall be decided by the Government.

SCHEDULE-1

[See rules 2(e), 2(g), 3, 4, 5 and 7]

Number and scales of pay of Group 'A' posts included in the Defence Quality Assurance Service, method of recruitment, eligibility service and other conditions for promotion from one grade to another

Sl. No.	Name of posts, pay band and grade pay or pay scale	Number of posts +	Method of recruitment	Grade from which promotion is is permissible and the minimum eligibility period prescribed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Special Director General Quality Assurance (Higher Administrative Grade) Pay Scale-High Administrative Grade Rs. 67000 (annual increment 3%)–79000	1	By promotion on the basis of selection	Officers in the Senior Administrative Grade (Additional Director General Quality Assurance) with three years' regular service in the grade, failing which officers with twenty five years' regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least one year service should be in the Senior Administrative Grade.
2.	Additional Director General Quality Assurance (Senior Administrative Grade) Pay Band-4, Rs. 37400-67000 plus Grade Pay of Rs. 10000	6	By promotion on the basis of selection	Officers in the Junior Administrative Grade (Principal Scientific Officer) with eight years' regular service in the grade including service, if any, in the Non-functional Selection Grade, failing which officers with seventeen years'

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least four years' regular service should be in the Junior Administrative Grade. (including service rendered in the Non-functional Selection Grade of the Junior Administrative Grade).
3.	Principal Scientific Officer (Junior Administrative Grade, Non-functional Selection Grade) Pay Band-4, Rs. 37400-67000 plus Grade pay of Rs. 8700	**	By promotion by non-selection.	(a) Officers of the Junior Administrative Grade who have entered the 14th year of service as on the 1st January of the year calculated from the year of selection on the basis of which the member was appointed or recruited to Group 'A' posts.
4.	Principal Scientific Officer (Junior Administrative Grade) Pay Band-3, Rs. 15600-39100 plus Grade pay of Rs. 7600	172 $	By promotion on the basis of selection	Officers of the Senior Time Scale (Senior Scientific Officer Grade I) with five years' regular service in the grade.
5.	Senior Scientific Officer Grade 1 (Senior Time Scale) Pay Band-3, Rs. 15600-39100 plus Grade pay of Rs. 6600	167	By promotion on the basis of selection	Officers of the Junior Time Scale (Senior Scientific Officer Grade-II) with four years' regular service in the grade and possessing qualification as specified for direct recruit as Senior Scientific Officer Grade II (Junior Time Scale) in Schedule III.
6.	Senior Scientific Officer Grade II (Junior Time Scale) Pay Band-3, Rs. 15600-39100 plus Grade pay of Rs. 5400	174	(c) 50% by promotion on the basis of selection (d) 50% by direct recruitment through the Union Public Service Commission.	Junior Scientific Officer of the Directorate General of Quality Assurance Organisation with two years' regular service in the grade and possessing at least a Diploma in Engineering or a Bachelor's Degree in Science.

+ In 2014 subject to variation dependent on workload.

** The Junior Administrative Grade-Selection Grade is Non-functional and the maximum number of posts in this grade shall be equal to 30% of the senior duty posts (i.e. all duty posts at the level of Senior Time Scale and above in the service) and the maximum number of posts in the Non-functional Selection Grade shall be limited to the number of posts sanctioned in Junior Administrative Grade.

$ Also includes Non-functional Selection Grade posts in the pay band-4, Rs. 37400-67000 with grade pay of Rs.8700.

SCHEDULE-II

[See rules 2(c), 7, 9 and 13]

(A) Composition to the Departmental Promotion Committee for considering promotion:-

1. Senior Scientific Officer Grade-II and Principal Scientific Officer (Junior Administrative Grade)

(a) Chairman or Member, Union Public Service Commission — Chairman

(b) Special Secretary or Additional Secretary or Joint Secretary administratively concerned ,Department of Defence Production, Ministry of Defence — Member

(c) Director General Quality Assurance or Special Director General Quality Assurance —Member

2. Senior Scientific Officer Grade-I

(a) Special Secretary or Additional Secretary Department of Defence Production, Ministry of Defence — Chairman

(b) Joint Secretary administratively concerned, Department of Defence Production, Ministry of Defence — Member

(c) Director General Quality Assurance or Special Director General Quality Assurance — Member.

3. Additional Director General Quality Assurance

(a) Chairman or Member, Union Public Service Commission — Chairman

(b) Secretary or Special Secretary or Additional Secretary, Department of Defence Production, Ministry of Defence — Member

(c) Special Director General Quality Assurance — Member.

4. Special Director General Quality Assurance

(a) Chairman or Member, Union Public Service Commission — Chairman

(b) Secretary, Department of Defence Production, Ministry of Defence — Member

(c) Secretary of any other Department of Ministry of Defence — Member.

(B) **Departmental Promotion Committee for considering confirmation in Senior Scientific Officer Grade-II :-**

(a) Director General Quality Assurance — Chairman

(b) Deputy Secretary or Director administratively concerned, Department of Defence Production, Ministry of Defence — Member

(c) Additional Director General Quality Assurance of Concerned Technical Discipline in the Headquarters, Directorate General of Quality Assurance — Member.

(C) **Composition of the Screening Committee for appointment to the grade of Principal Scientific Officer (Non-functional Selection Grade):-**

(a) Special Secretary or Additional Secretary, Department of Defence Production, Ministry of Defence — Chairman

(b) Joint Secretary administratively concerned, Department of Defence Production, Ministry of Defence — Member

(c) Director General Quality Assurance, or Special Director General Quality Assurance — Member.

(D) **Composition of the Screening Committee for grant of non-functional upgradation to officers specified under rule 13(2) in the pay band-3, pay band-4 and Higher Administrative Grade:-**

(a) Secretary, Department of Defence Production, Ministry of Defence — Chairman

(b) Special Secretary or Additional Secretary, Department of Defence Production, Ministry of Defence — Member

(c) Director General Quality Assurance, or Special Director General Quality Assurance — Member.

SCHEDULE-III

[See rule 7(4)]

Minimum educational and other qualifications, experience, age-limit for direct recruitment :-

(1) Senior Scientific Officer Grade-II

Essential:

1. Master's Degree in Science subjects, or Degree in Engineering or Technology or Metallurgy from a recognised University.

2. Two years' practical experience in production or development or quality assurance in the relevant field.

Desirable

Minimum six months Certificate Course in German, French, Russian, Japanese or Chinese Language from a recognised institute.

Age-Limit

Not exceeding thirty-five years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions issued by the Central Government.)

1. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

2. The specific educational qualifications and the specific area as specified in Schedule III in which experience is required shall be indicated at the time of each recruitment.

3. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

[No. A/93103/119/D(QA)/DGQA/Adm-6B]

KIRAN MALA KUJUR, Under Secy.

(क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2013

का.नि.आ. 2.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ग' पद (बहुकार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2012 को, जहां तक उनका संबंध बहुकार्य कर्मचारिवृंद (कार्यालय), बहुकार्य कर्मचारिवृंद (सुरक्षा), बहुकार्य कर्मचारिवृंद (स्वच्छता), बहुकार्य कर्मचारिवृंद (बागवानी), बहुकार्य कर्मचारिवृंद (नाई) के पदों से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में बहुकार्य कर्मचारीवृंद के समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' पद (बहुकार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**–ये नियम इन नियमों से उपबाद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे ।

3. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. बहुकार्य कर्मचारिवृंद (कार्यालय) [तत्कालीन कनिष्ठ गेस्टेटनर प्रचालक अभिलेखपाल, दफ्तरी, चपरासी, अर्दली, संदेशवाहक और प्रयोगशाला परिचर के पद]	763* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की

(6)
दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (दसवीं कक्षा पास)	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. स्थापन का प्रधान —अध्यक्ष 2. संबंधित स्थापन का एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य 3. उस स्थापन या उसके निकट के स्थान पर स्थित क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय से भिन्न स्थापन से एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. बहुकार्य कर्मचारिवृंद (सुरक्षा) [तत्कालीन जमादार,	512* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40

(1)	(6)
प्रहरी, जमादार चौकीदार, चौकीदार और दरबान के पद]	वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

(7)	(8)	(9)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (दसवीं कक्षा पास)	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. स्थापन का प्रधान —अध्यक्ष 2. संबंधित स्थापन का एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य 3. उस स्थान या उसके निकट के स्थापन पर स्थित क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय से भिन्न स्थापन से एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. बहुकार्य कर्मचारिवृंद (स्वच्छता) [तत्कालीन अस्पताल सफाईवाला, सफाईवाला, जमादार सफाईवाला और धोबी का पद]	288* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

(7)	(8)	(9)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (दसवीं कक्षा पास)	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. स्थापन का प्रधान —अध्यक्ष 2. संबंधित स्थापन का एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य 3. उस स्थान या उसके निकट के स्थान पर स्थित क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय से भिन्न स्थापन से एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. बहुकार्य कर्मचारिवृंद (बागवानी) [तत्कालीन माली, बागवान, जल वाहक का पद]	49* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

(7)	(8)	(9)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (दसवीं कक्षा उत्तीर्ण)	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. स्थापन का प्रधान —अध्यक्ष 2. संबंधित स्थापन का एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य 3. उस स्थापन या उसके निकट के स्थापन पर स्थित क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय से भिन्न स्थापन से एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. बहुकार्य कर्मचारिवृंद (नाई) [तत्कालीन नाई का पद]	5* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(6)
टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

(7)	(8)	(9)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा उत्तीर्ण) और नाई के व्यवसाय या कार्य में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखता हो ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. स्थापन का प्रधान — अध्यक्ष 2. संबंधित स्थापन का एक समूह 'क' अधिकारी — सदस्य 3. उस स्थापन या उसके निकट के स्थान पर स्थित क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय से भिन्न स्थापन से एक समूह 'क' अधिकारी — सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. बहुकार्य कर्मचारिवृंद (नर्सिंग) [तत्कालीन नर्सिंग अर्दली और अस्पताल अर्दली के पद]	11* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) ।

(6)
टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

(7)	(8)	(9)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (दसवीं कक्षा पास)	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. स्थापन का प्रधान —अध्यक्ष 2. संबंधित स्थापन का एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य 3. उस स्थापन या उसके निकट के स्थान पर स्थित क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय से भिन्न स्थापन से एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए/86320/भर्ती नियम/बहुकार्य कर्मचारीवृंद/डीजीक्यूए/प्रशा-10/1499/डी(क्यू.ए.)/2013]

आनंदी वैंकटेसवरन, अवर सचिव

(DIRECTORATE GENERAL OF QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 11th December, 2013

S.R.O. 2.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' posts (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2012, in so far as they relate to the posts of Multi-Tasking Staff (Office), Multi-Tasking Staff (Security), Multi-Tasking Staff (Sanitary), Multi-Tasking Staff (Horticulture), Multi-Tasking Staff (Barbar), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Group 'C' Multi-Tasking Staff in the Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance in the Ministry of Defence, namely :—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurane, 'C' posts of Multi-Tasking Staff Amendment Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—**These rules shall apply to the posts specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—**The number of the said post, their classification and the pay band, grade pay and pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed in these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualification.—**No person,—

(1) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(2) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Service person and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band, Grade Pay and Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Multi-Tasking Staff (Office) [Erstwhile posts of Junior Gestetner	763* (2013) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band-1, pay scale of Rs. 5200—20200 plus grade pay of Rs. 1800	Not applicable	Betwen 18 and 25 years (Relaxable for Government Servant's upto the age of forty years in case of general candidates and forty-five years in case of the candidates belonging to the

(1)	(6)
Operator, Record Keeper, Daftry, Peon, Orderly, Messenger and Laboratory Attendant]	Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. **Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep). Note 2 : The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Matriculation (10th class pass) from a recognised Board.	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by Promotion or by Deputation or Absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by Promotion or Deputation or Absorption, grades from which Promotion or Deputation or Absorption to be made
(10)	(11)
Direct recruitment through Staff Selection Commission	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Head of Establishement —Chairman 2. A Group 'A' Officer of the concerned Establishment —Member 3. A Group 'A' Officer from another Establishement of Directorate General of Quality Assurance located in the station or nearby station —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Multi-Tasking Staff (Security) [Erstwhile posts of Jamadar Watchman, Jamadar Chowkidar, Chowkidar and Durwan]	512* (2013) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band-1, pay scale of Rs. 5200—20200 plus grade pay of Rs. 1800	Not applicable	Betwen 18 and 25 years (Relaxable for Government Servant's upto the age of forty years in case of general candidates and forty-five years in case of the candidates belonging to the Scheduled Castes of Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. **Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or of the Union Territory Lakshadweep). **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
Matriculation (10th class pass) from a recognised Board.	Not applicable	Two years

(10)	(11)
Direct recruitment through Staff Selection Commission	Not applicable.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Head of Establishement —Chairman 2. A Group 'A' Officer of the concerned Establishment —Member 3. A Group 'A' Officer from another Establishement of Directorate General of Quality Assurance located in the station or nearby station —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Multi-Tasking Staff (Sanitary) [Erstwhile posts of Hospital Safaiwala, Safaiwala, Jamadar, Safaiwala, and Washerman]	288* (2013) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band-1, pay scale of Rs. 5200—20200 plus grade pay of Rs. 1800	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government Servant's upto the age of forty years in case of general candidates and forty-five years in case of the candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. **Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman

(6)
and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep). Note 2 : The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
Matriculation (10th class pass) or equivalent from a recognised Board	Not applicable	Two years

(10)	(11)
Direct recruitment through Staff Selection Commission	Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Head of Establishement —Chairman 2. A Group 'A' Officer of the concerned Establishment —Member 3. A Group 'A' Officer from another Establishment of Directorate General of Quality Assurance located in the station or nearby station —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Multi-Tasking Staff (Horticulture) [Erstwhile posts of Mali, Gardener and Water Carrier]	49* (2013) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band-1, pay scale of Rs. 5200—20200 plus grade pay of Rs. 1800	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government Servant's upto the age of forty years in case of general candidates and forty-five years in case of the candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.

(6)
Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep). **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
Matriculation (10th class pass) from a recognised Board.	Not applicable	Two years

(10)	(11)
Direct recruitment through Staff Selection Commission	Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Head of Establishment —Chairman 2. A Group 'A' Officer of the concerned Establishment —Member 3. A Group 'A' Officer from another Establishment of Directorate General of Quality Assurance located in the station or nearby station —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Multi-Tasking Staff (Barber) [Erstwhile posts of Barbar].	5* (2013) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band-1, pay scale of Rs. 5200—20200 plus grade pay of Rs. 1800	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government Servant's upto the age of forty years in case of general candidates and forty-five years in case of the candidates belonging to the Scheduled Castes of Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. **Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep). **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
Matriculation (10th class pass) from a recognised Board and having atleast one year experience in Barber's trade or job	Not applicable	Two years

(10)	(11)
Direct recruitment through Staff Selection Commission	Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Head of Establishment —Chairman 2. A Group 'A' Officer of the concerned Establishment —Member 3. A Group 'A' Officer from another Establishment of Directorate General of Quality Assurance located in the station or nearby station —Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Multi-Tasking Staff (Nursing) [Erstwhile posts of Nursing Orderly and Orderly Hospital).	11* (2013) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band-1, pay scale of Rs. 5200—20200 plus grade pay of Rs. 1800	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government Servants upto the age of forty years in case of general candidates and forty-five years in case of the candidates belonging to the Scheduled Castes of Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. **Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep). **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
Matriculation (10th class pass) from a recognised Board.	Not applicable	Two years

(10)	(11)
Direct recruitment through Staff Selection Commission.	Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Head of Establishment —Chairman 2. A Group 'A' Officer of the concerned Establishment —Member 3. A Group 'A' Officer from another Establishment of Directorate General of Quality Assurance located in the station or nearby station. —Member	Not applicable

[F. No. A/86320/RR/MTS/DGQA/Adm-10/1499/D(QA)/2013]

ANANDI VENKETSWARAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2013

का.नि.आ. 3.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर कोर (पोस्टर कलाकार) भर्ती नियम, 2002 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, इलैक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक इंजीनियरों के कोर में पोस्टर कलाकार, समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, इलैक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक इंजीनियरों के कोर, पोस्टर कलाकार, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पोस्टर कलाकार	11* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, गैर-औद्योगिक ।	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु.	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच **टिप्पण 1 :** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल । **टिप्पण 2 :** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में 5 वर्ष तक और शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 3 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यताप्राप्त परिषद् से मैट्रिकुलेशन के साथ किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कला से सम्बंधित कार्य में तीन वर्ष का अनुभव ।	लागू नहीं होता ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**आमेलन द्वारा :** रक्षा सेवाओं में सदृश्य/समतुल्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. ब्रिगेडियर —अध्यक्ष 2. कर्नल अभिलेख, इलैक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक इंजीनियरिंग —सदस्य 3. इलैक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक इंजीनियरिंग के महानिदेशक का प्रतिनिधि जो निदेशक इलैक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक इंजीनियरिंग (असैनिक) अथवा संयुक्त निदेशक इलैक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक इंजीनियरिंग (असैनिक) की नियुक्ति धारण करता है । —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. बी/89228/आर आर/पोस्टर कलाकार/ई एम ई सिव(सी-2)/497/र. (नि.)/2013]

दलपत सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 24th December, 2013

S.R.O. 3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Corps of Electrical and Mechnical Engineering (Poster Artist) Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the posts of Poster Artist in Ministry of Defence, the Corps of Electronics and Mechanical Engineers, namely :—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Corps of Electronics and Mechanical Engineers, Poster Artist, Group 'C' post, Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—**The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed in these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—**The method of recruitment to the said posts, age limits and qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,—

(1) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(2) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Poster Artist	11* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non Industrial, Non Gazetted, Non Ministerial	PB-1, Rs. 5200—20200 plus grade pay Rs. 2000	Non Selection	Betwen 18 to 25 years **Note 1 :** Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by Central Government. **Note 2 :** Relaxable for 5 years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. **Note 3 :** The crucial date for determining the age-limit will be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State,

(6)
Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Matriculation from a recognized Board with three years experience in art work from a recognized institute.	Not applicable	Two years for direct recruits

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/absorption, trades from which to be made
(10)	(11)
By absorption failing which by direct recruitment	**Absorption :** Persons holding analogous/equivalent posts in Defence services possessing the qualification prescribed for direct recruits in column (7).

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering probation lifting or confirmation) consisting of :— 1. Brigadier —Chairman 2. Col Records, Electronics and Mechanical Engineering —Member 3. Director General of EME representative holding the appointment of Director EME (Civ) or Jt Dir (Civ) —Member	Not applicable.

[F. No. B/89228/RR/Poster Artist/EME Civ (C-2)/497/D(Apptt.)/2013]

DALPAT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2014

का.नि.आ.4.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिकीय सेवा नियम, 2001 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिकीय सेवा नियम, 2001 में,–

(क) सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिकीय सेवा नियम, 2001 में सर्वत्र, शब्दों ''सशस्त्र बल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठनों'' जहां कहीं पर भी है, शब्दों और कोष्ठकों ''रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना, नौसेना, वायुसेना), रक्षा कर्मचारिवृंद मुख्यालयों और अंतर सेवा संगठनों'' को रखा जाएगा ।

(ख) नियम 3 के उप-नियम (1) में निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :–

''(1) सेवा में दो ग्रेड होंगी, अर्थात् :–

(i) उच्च श्रेणी ग्रेड जिसके अंतर्गत उच्च श्रेणी लिपिक अकृत्यिक चयन ग्रेड भी है ;

(ii) अवर श्रेणी ग्रेड ।'';

(ग) नियम 7 के उप-नियम (2) को हटा दिया जाएगा ;

(घ) नियम 13 के उप-नियम (2) में खंड (ग) में शब्दों ''आरम्भ में ऊपर निर्दिष्ट उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट एक व्यक्ति'' के स्थान पर शब्दों ''आरम्भ में ऊपर निर्दिष्ट उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट दो व्यक्तियों'' को और शब्दों ''सोलह व्यक्ति'' के स्थान पर शब्दों ''पंद्रह व्यक्तियों'' को क्रमश: रखे जाएंगे ;

(ङ) नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

''**14. वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान**–सेवा की श्रेणियों से संबद्ध वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतमान निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :–

(i) उच्च श्रेणी ग्रेड – वेतन बैंड-1, (5200–20200 रु.) ग्रेड वेतन 2400 रु. और उच्च श्रेणी ग्रेड (अकृत्यिक चयन ग्रेड) – वेतन बैंड-2 (9300–34800 रु). ग्रेड वेतन 4200 रु. ।

(ii) अवर श्रेणी ग्रेड – वेतन बैंड-1, (5200–20200 रु.) ग्रेड वेतन 1900 ।''

(च) नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

''**15. वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान का विनियमन**–इन श्रेणियों के अधिकारियों के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान और वेतनवृद्धि प्रवृत्त मूल नियम अथवा अन्य नियमों के अनुसार विनियमित होंगे ।''

(छ) पहली अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित पहली अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :–

''पहली अनुसूची

[नियम 2(i) देखें]

रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालयों और अंतर सेवा संगठनों के नाम जिन पर सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिकीय सेवा लागू होगी :

(क) **रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय :**

1. सेना ।

2. नौसेना ।

3. वायुसेना ।

4. रक्षा कर्मचारिवृंद मुख्यालयों ।

(ख) **रक्षा मंत्रालय के अंतर सेवा संगठन :**

1. संशस्त्र बल फिल्म और फोटो डिविजन ।
2. केन्द्रीय मानीटर संगठन ।
3. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ।
4. रक्षा संपदा महानिदेशालय ।
5. योजना और समन्वय निदेशालय ।
6. जनसंपर्क निदेशालय जिसके अंतर्गत सैनिक समाचार भी है ।
7. मानकीकरण निदेशालय ।
8. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय ।
9. सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय ।
10. गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय ।
11. राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय ।
12. पुनःस्थापन महानिदेशालय ।
13. ऐतिहासिक प्रभाग ।
14. केन्द्रीय सैनिक बोर्ड ।
15. संयुक्त बीजलेख ब्यूरो ।
16. रक्षा मंत्रालय वितरण अनुभाग ।
17. रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय ।
18. राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय ।
19. संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय ।
20. विदेशी भाषा का विद्यालय ।
21. सुरक्षा कार्यालय ।
22. सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड ।
23. प्रदर्शनी संगठन सेल ।
24. आर्डनेंस कारखाना सेल ।
25. उन्नत प्रौद्योगिकी जलयान प्रोजेक्ट ।''

(ज) दूसरी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित दूसरी अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :–

''दूसरी अनुसूची

[नियम (4) देखें]

सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिकीय सेवा के विभिन्न ग्रेडों की प्राधिकृत संख्या ।

1. उच्च श्रेणी ग्रेड – 1490 (जो कार्यभार या काडरीकरण या काडर पुनर्गठन के परिवर्तन के अध्याधीन है । उच्च श्रेणी ग्रेड की प्राधिकृत संख्या का 30 प्रतिशत उच्च श्रेणी लिपिक अकृत्यिक चयन ग्रेड में इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा अधिकथित प्रक्रियाओं और अनुदेशों के अनुसार नियोजन के पात्र होंगे ।

2. अवर श्रेणी ग्रेड – 1490 (जो कार्यभार या काडरीकरण या काडर पुनर्गठन जिसके अंतर्गत रिर्जव भी हैं के परिवर्तन के अध्यधीन है ।)''

(झ) तीसरी अनुसूची के अवर श्रेणी ग्रेड (समूह 'ग अनुसचिवीय) में,–

(क) स्तंभ (3) के अधीन, खंड (क) में, शब्दों ''पन्द्रह प्रतिशत'' के स्थान पर शब्दों ''बीस प्रतिशत'' को रखा जाएगा । ;

(ख) स्तंभ (3) के अधीन, खंड (क) में, शब्दों और अक्षर ''समूह 'घ' कर्मचारियों'' के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और कोष्ठकों ''समूह 'ग' (तत्कालीन समूह 'घ' कर्मचारियों'' को रखा जाएगा । ;

(ग) स्तंभ (3) के अधीन, खंड (क) के उपखंड (ii) में, शब्दों ''पांच प्रतिशत'' के स्थान पर शब्दों ''दस प्रतिशत'' को रखा जाएगा । ;

(घ) स्तंभ (3) के अधीन, खंड (क) के उपखंड (ii) में, शब्दों और अक्षरों ''समूह 'घ' कर्मचारियों'' के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और कोष्ठकों ''समूह 'ग' (तत्कालीन समूह 'घ') कर्मचारियों'' को रखा जाएगा । ;

(ङ) स्तंभ (3) के अधीन, खंड (क) के नीचे, निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''**टिप्पण** : यदि खंड (क) में मद (i) के अधीन किसी वर्ष में किसी कारण से समुचित संख्या में व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे भरी न जा सकने वाली रिक्तियां खंड (क) में मद (ii) में विनिर्दिष्ट रीति से भरा जा सकेंगी और उसी प्रकार से पश्चात्वर्ती वर्ष में रिक्तियों को भरा जाएगा और किसी कारण से रिक्तियां जो भरी न जा सकने के कारण शेष है, यदि कोई है, खंड (ग) में विनिर्दिष्ट रीति से भरी जा सकेगी ।''

(च) स्तंभ (4) के अधीन, ''नियमित आधार पर किसी समूह 'घ' पद या किसी उच्चतर श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष की सेवा'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''समूह 'ग' (तत्कालीन समूह 'घ') श्रेणी + ग्रेड वेतन 1800 रु. में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा'' शब्द, अक्षर, कोष्ठक और अंक रखा जाएगा ।

(ञ) चौथी अनुसूची में,–

(क) कोष्ठकों और शब्दों ''(प्रोन्नति/सम्पुष्टि के लिए)'' के स्थान पर कोष्ठकों और शब्दों ''(प्रोन्नति या पुष्टि के संबंध में विचार के लिए)'' को रखा जाएगा । ;

(ख) क्रम संख्यांक 1 में शब्दों, ''ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी'' के स्थान पर शब्दों ''उप निदेशक या ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी'' को रखा जाएगा । ;

(ग) क्रम संख्यांक 2 में, शब्दों ''रक्षा मंत्रालय के सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय और वायुसेना मुख्यालय प्रत्येक से सिविलियन स्टाफ आफिसर'' के स्थान पर शब्दों ''रक्षा मंत्रालय के प्रत्येक एकीकृत मुख्यालय (सेना, नौसेना, वायुसेना) और रक्षा कर्मचारिवृद मुख्यालयों के उप निदेशक'' को रखा जाएगा । ;

[फा. सं. ए/33953/मुप्रअ/भर्ती-2]

के. एम. पी. सिंह, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4, द्वारा का.नि.आ. 30 तारीख 4 जनवरी, 2001 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

New Delhi, the 21st January, 2014

S.R.O. 4.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Armed Forces Headquarters Clerical Service Rules, 2001, namely :—

1. (1) These rules may be called the Armed Forces Headquarters Clerical Service (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Armed Forces Headquarters Clerical Service Rules, 2001,—

(a) throughout the Armed Forces Headquarters Clerical Service Rules, 2001, for the words "Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations" wherever they occur, the words and brackets "Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army, Navy, Air), Defence Staff Headquarters and Inter Service Organisations" shall be substituted.

(b) in rule 3, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) There shall be two Grades in the Service, namely :—

(i) Upper Division Grade including Upper Division Clerk Non Functional Selection Grade;

(ii) Lower Division Grade.";

(c) in rule 7, sub-rule (2) shall be omitted;

(d) in rule 13, in sub-rule (2), in clause (c), for the words "starting with one person", the words "starting with two persons" and for the words "sixteen persons", the words "fifteen persons" shall respectively, be substituted;

(e) for rule 14, the following shall be substituted, namely :—

"14. **Pay band and Grade Pay or Pay Scale.—**The Pay band and Grade Pay or Pay Scale attached to the Grades of the Service shall be as follows, namely :—

(i) Upper Division Grade - PB-l (Rs. 5200–20200) Grade Pay ₹ 2400 and Upper Division Grade (Non Functional Selection Grade) – PB-2 (Rs. 9300-34800) Grade Pay ₹ 4200.

(ii) Lower Division Grade - PB-l (Rs. 5200–20200) Grade Pay ₹ 1900." ;

(f) for rule 15, the following shall be substituted, namely :-

"**15. Regulation of Pay band and Grade Pay or Pay Scale.**—The Pay band and Grade Pay or Pay Scale and increments of officers of the Grades shall be regulated in accordance with the Fundamental- Rules or other rules in force." ;

(g) for the First Schedule, the following First Schedule shall be substituted, namely :—

"FIRST SCHEDULE

[See rule 2(i)]

Names of the Integrated Headquarters of the Ministry of Defence and Inter Service Organisations to whom the Armed Forces Headquarters Clerical Service shall apply :—

(a) **Integrated Headquarters of the Ministry of Defence.**

1. Army
2. Navy
3. Air
4. Defence Staff Headquarters.

(b) **Inter Service Organisations of the Ministry of Defence.**

1. Armed Forces Film and Photo Division.
2. Central Monitoring Organisation.
3. Defence Research and Development Organisation.
4. ,Directorate General of Defence Estate.
5. Directorate of Planning and Coordination.
6. Directorate of Public Relations, including Sainik Samachar.
7. Directorate of Standardisation.
8. Directorate General Aeronautical Quality Assurance.
9. Directorate General Armed Forces Medical Service.
10. Directorate General of Quality Assurance.
11. Directorate General of National Cadet Corps.

12. Directorate General of Resettlement.
13. History Division.
14. Kendriya Sainik Board.
15. Joint Cipher Bureau.
16. Ministry of Defence Distribution Section.
17. Ministry of Defence Library.
18. National Defence College.
19. Office of the Joint Secretary (Training) and Chief Administrative Officer.
20. School of Foreign Languages.
21. Security Office.
22. Service Sports Control Board.
23. Defence Exhibition Organisation.
24. Ordnance Factories Cell.
25. Advance Technology Vessel Project."

(h) for the Second Schedule, the following Second Schedule shall be substituted, namely :—

SECOND SCHEDULE

[See rule 4]

Authorised strength of the various Grades of the Armed Forces Headquarters Clerical Service.

1. **Upper Division Grade - 1490** (Subject to variation dependent on workload or encadrement or cadre re-structuring. Thirty per cent of the authorised strength of Upper Division Grade shall be eligible for placement in the grade of Upper Division Clerk Non Functional Selection Grade in accordance with the instructions and procedures laid down for this purpose by the Government.)
2. **Lower Division Grade - 1490** (Subject to variation dependent on workload or encadrement or cadre re-structuring including reserves.)"

(i) in the Third Schedule, in the grade of Lower Division Grade (Group 'C' Ministerial), —

(a) under column (3), in clause (a), for the words "Fifteen per cent", the words "Twenty per cent" shall be substituted.;

(b) under column (3), in clause (a), for the words and letter ,"Group 'D' employees", the words, letter and brackets "Group 'C' (erstwhile Group 'D') employees" shall be substituted.;

(c) under column (3), in clause (a), in sub-clause (ii), for the words "Five per cent", the words "Ten per cent" shall be substituted.;

(d) under column (3), in clause (a), in sub-clause (ii), for the words and letter "Group 'D' employees"; the words, letters and brackets "Group 'C' (erstwhile Group 'D') employees" shall be substituted.;

(e) under column (3), below clause (a), the followingNote shall be inserted, namely :-

"Note.— If sufficient number of persons are not available in a year under item (i) of clause (a) due to any reason, the unfilled vacancies shall be filled in the manner specified in item (ii) of clause (a) and vice versa in subsequent year and vacancies still remaining unfilled, if any, due to any reason, shall be filled in the manner specified in clause (c)."

(f) under column (4), for the words and figure "Minimum 5 years service in a Group post or in any his grade on regular basis.", the words, letters, brackets and figures "Minimum three years regular service in Group 'C' (erstwhile Group 'D') grade with the Grade Pay of Rs.1800." shall be substituted.

(j) in the Fourth Schedule,—

(a) for the brackets and words "(for promotion/confirmation)", the brackets and words "(for considering promotion or confirmation)" shall be substituted;

(b) in serial number 1, for the words "Senior Administrative Officer", the words "Deputy Director or Senior Administrative Officer" shall be substituted;

(c) in serial number 2, for the words "Civilian Staff Officers each from Army Headquarters, Naval Headquarters and Air Headquarters, Ministry of Defence", the words and brackets "Deputy Directors each from Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army, Navy, Air) and Defence Staff Headquarters" shall be substituted.

[F. No. A/33953/CAO/R-II]

K.M.P. SINGH, Dy. Chief Administrative Officer

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 4, vide S.R.O. 30, dated the 4th January, 2001.

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2014

का.नि.आ. 5.—आईसी–44823–ए लेफ्टिनेंट कर्नल अमोद मलिक के त्यागपत्र दिए जाने और जनरल आफिसर कमांडिग-इन-चीफ, दक्षिणी कमान द्वारा उसकी स्वीकृति के फलस्वरूप छावनी बोर्ड, नसीराबाद की सदस्यता में एक रिक्ति हुई है, केंद्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 12 की उप-धारा (8) के अनुसरण में आफिसर कमांडिंग, नसीराबाद स्टेशन द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (4) के खण्ड (च) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित आदेश द्वारा नाम से नामनिर्दिष्ट, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट सेना आफिसर को उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख को छावनी बोर्ड, नसीराबाद के नामनिर्दिष्ट सदस्यों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :–

नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम	नाम निर्देशन की तारीख
(1)	(2)
आईसी–4333 एच लेफ्टिनेंट कर्नल आर. एस. यादव	22 दिसम्बर, 2010

[फा. सं. 14(1)/2011/डी (क्यू एंड सी)]

एस. के. झा, अवर सचिव

New Delhi, the 21st January, 2014

S.R.O. 5.—Whereas one vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Nasirabad by virtue of resignation of IC-44823-A Lt. Col. Amod Malik and acceptance thereof by the General Officer Commanding-in-Chief, Southern Command, the Central Government, in pursuance of sub-section (8) of section 12 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), hereby notifies the military officers specified in column (1) of the Table below, nominated by name by order in writing by the Officer Commanding, Nasirabad Station on the dates specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, in exercise of powers conferred upon him under clause (f) of sub-section (4) of section 12 of the said Act, as nominated members of Cantonment Board, Nasirabad, namely :—

Name of members nominated	Date of nomination
(1)	(2)
IC- 43334-H Lt. Col. R.S. Yadav	22nd December, 2010

[F. No. 14(1)/2011/D (Q & C)]

S. K. JHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2014

का.नि.आ. 6.—आईसी–466412एल कर्नल सुरोजित सिन्हा, आईसी–37762एल कर्नल तेजिन्दर सिंह, आईसी–48484एच कर्नल शाहिद शब्बर और आईसी–17193बी ग्रुप कैप्टन आर. एस. राजपूत के त्यागपत्र दिए जाने और जनरल आफिसर कमांडिंग–इन–चीफ, दक्षिणी कमान द्वारा उसकी स्वीकृति के फलस्वरूप छावनी बोर्ड, देवलाली की सदस्यता में कुछ रिक्तियां हुई हैं, केंद्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 12 की उप-धारा (8) के अनुसरण में आफिसर कमांडिंग, देवलाली स्टेशन द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (3) के खण्ड (च) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित आदेश द्वारा नाम से नामनिर्दिष्ट, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट सेना आफिसरों को उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख को छावनी बोर्ड, देवलाली के नामनिर्दिष्ट सदस्यों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :–

नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम	नामनिर्देशन की तारीख
(1)	(2)
आईसी–53101पी कर्नल अमीन जेएन	26 मार्च, 2011
आईसी–48484एच कर्नल शाहिद शब्बर	26 मार्च, 2011
आईसी–51299ए कर्नल सोमनाथ गुप्ता, प्रशासन कमांडेंट	26 अगस्त, 2011
आईसी–18142ए ग्रुप कैप्टन मनोज श्रीवास्तव	4 अक्तूबर, 2012

[फा. सं. 14(1)/2011/डी (क्यू एंड सी)]

एस. के. झा, अवर सचिव

New Delhi, the 21st January, 2014

S.R.O. 6.—Whereas certain vacancies have occurred in the membership of the Cantonment Board, Deolali by virtue of resignation of IC-466412L Col. Surojit Sinha, IC- 37762L Col. Tejinder Singh, IC-48484H Col. Shahid Shabbar and IC-17193B Group Captain R.S. Rajput respectively and acceptance thereof by the General Officer Commanding-in-Chief, Southern Command, the Central Government, in pursuance of sub-section (8) of section 12 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), hereby notifies the military officers specified in column (1) of the Table below, nominated by name by order in writing by the Officer Commanding, Deolali Station on the dates specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, in exercise of powers conferred upon him under clause (f) of sub-section (3) of section 12 of the said Act, as nominated members of Cantonment Board, Deolali, namely :—

Names of members nominated	Date of nomination
(1)	(2)
IC- 53101P Col. Amin JN	26th March, 2011
IC-48484H Col. Sahid Shabbar	26th March, 2011
IC-51299A CoL Somnath Gupta, Adm Comdt	26th August, 2011
IC-18142A Group Captain Manoj Srivastava	4th October, 2012

[F. No. 14(1)/2011/D (Q & C)]

S. K. JHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2014

का.नि.आ. 7.—एसएल–4044–पी कर्नल जे. एस. यादव और आई सी–57280 एक्स लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप जी के त्यागपत्र दिए जाने और जनरल आफिसर कमांडिग-इन-चीफ, दक्षिणी कमान द्वारा उसकी स्वीकृति के फलस्वरूप छावनी बोर्ड, कामठी की सदस्यता में कुछ रिक्तियां हुई है, केंद्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 12 की उप-धारा (8) के अनुसरण में आफिसर कमांडिंग, कामठी स्टेशन द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (4) के खण्ड (च) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित आदेश

द्वारा नाम से नामनिर्दिष्ट, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट सेना आफिसरों को उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख को छावनी बोर्ड, कामठी के नामनिर्दिष्ट सदस्यों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :–

नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम	नामनिर्देशन की तारीख
(1)	(2)
आईसी-57280एक्स लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप जी	14 नवम्बर, 2011
एसएल-4339एल लेफ्टिनेंट कर्नल आर. बी. सिंह	12 नवम्बर, 2012

[फा. सं. 14(1)/2011/डी (क्यू एंड सी)]

एस. के. झा, अवर सचिव

New Delhi, the 21st January, 2014

S.R.O. 7.—Whereas certain vacancies have occurred in the membership of the Cantonment Board, Kamptee by virtue of resignation of SL4044P Col. J.S. Yadav and IC-57280X Lt. Col. Pradeep G. respectively and acceptance thereof by the General Officer Commanding-in-Chief, Southern Command, the Central Government, in pursuance of sub-section (8) of section 12 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), hereby notifies the military officers specified in column (1) of The Table below, nominated by name by order in writing by the Officer Commanding, Kamptee Station on the dates specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, in exercise of powers conferred upon him under clause (f) of sub-section (4) of section 12 of the said Act, as nominated members of Cantonment Board, Kamptee, namely :—

Name of members nominated	Date of nomination
(1)	(2)
IC- 57280X Lt. Col. Pradeep G	14th November, 2011
SL 4339L Lt. Col. R. B. Singh	12th November, 2012

[F. No. 14(1)/2011/D (Q&C)]

S. K. JHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2014

का.नि.आ. 8.—आईसी–50118 एक्स कर्नल एलसीएस नायडु के त्यागपत्र दिए जाने और जनरल आफिसर कमांडिग-इन-चीफ, दक्षिणी कमान द्वारा उसकी स्वीकृति के फलस्वरूप छावनी बोर्ड, खड़की की सदस्यता में एक रिक्ति हुई है, केंद्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 12 की उपधारा (8) के अनुसरण में आफिसर कमांडिंग, खड़की स्टेशन द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (3) के खण्ड (च) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित आदेश द्वारा नाम से नामनिर्दिष्ट, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट सेना आफिसर को उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख को छावनी बोर्ड, खड़की के नामनिर्दिष्ट सदस्यों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :–

नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम	नामनिर्देशन की तारीख
(1)	(2)
आईसी-51636के कर्नल सिरिश सिंह	9 फरवरी, 2011

[फा. सं. 14(1)/2011/डी (क्यू एंड सी)]

एस. के. झा, अवर सचिव

New Delhi, the 21st January, 2014

S.R.O. 8.—Whereas one vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Kirkee by virtue of resignation of IC-50118X Col. LCS Naidu and acceptance thereof by the General Officer Commanding-in-Chief, Southern

Command, the Central Government, in pursuance of sub-section (8) of section 12 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), hereby notifies the military officers specified in column (1) of the Table below, nominated by name by order in writing by the Officer Commanding, Kirkee Station on the dates specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, in exercise of powers conferred upon him under clause (f) of sub-section (4) of section 12 of the said Act, as nominated members of Cantonment Board, Kirkee, namely :—

Names of members nominated	Date of nomination
(1)	(2)
IC- 51636K Col. Sirish Singh	9th February, 2011

[F. No. 14(1)/2011/D (Q & C)]

S. K. JHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2014

का.नि.आ. 9.—आईसी–37380एफ कर्नल देवगन के त्यागपत्र दिए जाने और जनरल आफिसर कमांडिग-इन-चीफ, मध्य कमान द्वारा उसकी स्वीकृति के फलस्वरूप छावनी बोर्ड, मेरठ की सदस्यता में एक रिक्ति हुई है, भारत सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 12 की उप-धारा (8) के अनुसरण में आफिसर कमांडिंग, मेरठ स्टेशन द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (4) के खण्ड (च) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित आदेश द्वारा नाम से नामनिर्दिष्ट, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट सेना आफिसर को उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख को छावनी बोर्ड, मेरठ के नामनिर्दिष्ट सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :–

नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम	नामनिर्देशन की तारीख
(1)	(2)
आईसी–52987एल ले. कर्नल एम एस चौहान	29 दिसम्बर, 2012

[फा. सं. 14(1)/2011/डी (क्यू एंड सी)]

एस. के. झा, अवर सचिव

New Delhi, the 21st January, 2014

S.R.O. 9.—Whereas one vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Meerut by virtue of resignation of IC-37380F Col. TR Devgun and acceptance thereof by the General Officer Commanding-in-Chief, Central Command, Government of India, in pursuance of sub-section (8) of section 12 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), hereby notifies the military officers specified in column (1) of the Table below, nominated by name by order in writing by the Officer Commanding, Meerut Station on the date specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, in exercise of powers conferred upon him under clause (f) of sub-section (3) of section 12 of the said Act, as nominated member of Cantonment Board, Meerut, namely :—

Name of the nominated members	Date of nomination
(1)	(2)
IC- 52987L Lt. Col. M. S. Chauhan	29th December, 2012

[F. No. 14(1)/2011/D (Q&C)]

S. K. JHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2014

का.नि.आ. 10.—आईसी–38331एल कर्नल पुनीत तिवारी के त्यागपत्र दिए जाने और जनरल आफिसर कमांडिग-इन-चीफ, पश्चिमी कमान द्वारा उसकी स्वीकृति के फलस्वरूप छावनी बोर्ड, खासयोल की सदस्यता में एक रिक्ति हुई है, भारत सरकार, छावनी अधिनियम,

2006 (2006 का 41) की धारा 12 की उपधारा (8) के अनुसरण में आफिसर कमांडिंग, खासयोल स्टेशन उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (4)के खण्ड (च) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित आदेश द्वारा नाम से नामनिर्दिष्ट, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट सेना आफिसर को उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख को छावनी बोर्ड, खासयोल के नामनिर्दिष्ट सदस्यों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :–

नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम	नामनिर्देशन की तारीख
(1)	(2)
आईसी-43651के कर्नल आर. एस. प्रसाद	11 फरवरी, 2013

[फा. सं. 14(1)/2011/डी (क्यू एंड सी)]

एस. के. झा, अवर सचिव

New Delhi, the 21st January, 2014

S.R.O. 10.—Whereas one vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Khasyol by virtue of resignation of IC-38331L Col. Puneet Tewari and acceptance thereof by the General Officer Commanding-in-Chief, Western Command, the Government of India, in pursuance of sub-section (8) of section 12 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), hereby notifies the military officers specified in column (1) of the Table below, nominated by name by order in writing by the Officer Commanding, Khasyol Station on the dates specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, in exercise of powers conferred upon him under clause (f) of sub-section (4) of section 12 of the said Act, as nominated member of Cantonment Board, Khasyol, namely :—

Name of the nominated members	Date of nomination
(1)	(2)
IC- 43651K Col. R.S. Prasad	11th February, 2013

[F. No. 14(1)/2011/D (Q & C)]

S. K. JHA, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 24] नई दिल्ली, नवम्बर 16—नवम्बर 22, 2014, शनिवार/कार्तिक 25—अग्रहायण 1, 1936

No. 24] NEW DELHI, NOVEMBER 16—NOVEMBER 22, 2014, SATURDAY/ KARTIKA 25—AGRAHAYANA 1, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2014

का.नि.आ. 70.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर भर्ती नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर भर्ती(दूसरा संशोधन), नियम, 2014 होगा ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

[फा. सं. डी एच आर डी/76237/डीआरटीसी/आर आर/पी/एम/03]

एस. डी. भसोर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र भाग II, खंड 4 में का. नि. आ. 296 तारीख 5 दिसम्बर, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का. नि. आ. 50, तारीख 12 फरवरी, 2002 का. नि. आ. 147, तारीख 26 जून, 2002 का. नि. आ. 33, तारीख 29 फरवरी, 2008 और अंतिम संशोधन का. नि. आ. 13, तारीख 20 जनवरी, 2014 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 31st October , 2014

S. R. O. 70 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Organisation Technical Cadre Recruitment Rules, in 2000 namely :—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Organisation Technical Cadre Recruitment (Second Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Offical Gazetted.

2. In the Defence Research and Development Organisation Technical Cadre Recruitment Rules, 2000 in Foot Note, in Note 4, for the words and letter "Technical Assistant 'A' ", the words and letter "Technical Officer 'A' ", shall be substituted.

[F. No. DHRD/76237/DRTC/RR/P/M/03]

S. D. BHASOR, Under Secy.

Note :—The Principal rules were published in the Gazette of India part II, Section 4, vide S.R.O. 296 dated the 5th December, 2000 and subsequently amended vide S.R.O. 50, dated 12th February, 2002, S.R.O. 147, dated 26th June, 2002, S.R.O. 33 dated 29th February, 2008 and last aended vide S.R.O. 13, dated the 20th January, 2014

(Department of Defence Production)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th November, 2014

S.R.O. 71.— In exercise of the powers conferred by the provisio to article 309 of the Constitution,the President hereby makes the following corrigendum to the Defence Quality Assurance Service Rules, 2014 published vide SRO-1 dated 20.1.2014 in Part II, Section-4 of the Gazette of India dated Jan 26—Feb 1, 2014.

2. SRO No. 1

In Schedule-1, Sl. No. 3, Col 5

FOR:- (a) Officer of the Junior Administrative Grade who have entered the 14th year of service as on the 1st January of the year calculated from the year of selection on the basis of which the 'member was appointed or recruited to Group 'A' posts;

READ:-(a) Officer of the Junior Administrative Grade who have entered the14th year of service as on the 1st January of the year calculated from the year of selection on the basis of which the member was appointed or recruited to Group 'A' posts;

(b) Officers of the Junior Administrative Grade who have entered service direct in Senior Time Scale Group 'A' with nine year' combined regular service in Senior Time Scale and Junior Administrative Grade.

In Schedule-1, Sl. No. 6, Col 4

FOR:- (c) 50% by promotion on the basis of selection

(d) 50% by direct recruitment through the Union Public Service Commission

READ:-(a) 50% by promotion on the basis of selection

(b) 50% by direct recruitment through the Union Public Service Commission

[F. No. A/93103/2255/D(QA)DGQA/Adm-6B]

KIRAN MALA KUJUR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.